राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 256/2006

बलदेव सिंह हाडा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, कार्मिक (ग्रुप क–4) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.04.2006
आदेश की दिनांक : 08.09.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री वी.के.माथुर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 06.01.1998 (अनुलग्नक–6 व 7) एवं आदेश दिनांक 18.03.1998, 24.03.1998 तथा 13.05.1997 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को वर्ष 1997–98 आरएएस कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर पदोन्नति जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को दी गई है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी प्रदान की जावें तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी दिये जावे।

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नायब तहसीलदार के पद पर दिनांक 03.03.1980 को हुई थी और आदेश दिनांक 01.04.1996 को वरिष्ठता सूची नियम 32 के तहत दिनांक 17.04.1997 को जारी की गयी, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 63 पर दर्शाया गया। अंतरिम वरिष्ठता सूची दिनांक 01.09.1997 के तहत दिनांक 19.09.1998 को जारी की गयी। इसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 59 पर दर्शाया गया। वर्ष 1994–95 की एपीएआर में विपरीत प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की गयी और पत्र दिनांक 13.05.1997 के द्वारा जिला कलेक्टर के द्वारा वर्ष 1994 में

विभागीय जांच की गयी, जो दुर्भावनापूर्ण थी। अपीलार्थी को सीसीए नियम 17 के तहत विभागीय जांच प्रारम्भ की गई, जिसे स्थगित कर दिया गय। इसके सम्बन्ध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिया और विभाग द्वारा दिनांक 18.03.1998 को निरस्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आरएएस के पद के लिये डीपीसी हेतु योग्य अभ्यर्थियों के नाम पर विचार किया गया और वर्ष 1997–98 में नियम 28 के तहत आदेश दिनांक 06.01.1998 के द्वारा डीपीसी की अभिशंषा के आधार पर आरएएस कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर पदोननति प्रदान की गई, जो वरिष्ठता कम मैरिट एवं मैरिट आधार पर की गयी, परन्तु पदोन्नति आदेश में अपीलार्थी का नाम नहीं दर्शाया गया और जिन कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जांच लम्बित थी, उनके परिणाम को बन्द लिफाफे में रखा गया, जबकि अपीलार्थी के नाम पर पदोन्नति के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी ने उक्त सम्बन्ध में विभाग को अभ्यावेदन दिनांक 27.02.1998 को प्रस्तुत किया, जिसमें विभाग द्वारा यह कहा गया कि डीपीसी द्वारा उचित/योग्य नहीं पाये जाने पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी की पदोन्नति के सम्बन्ध में नियम विरूद्ध रवैया अपनाया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध चार अनुशासनात्मक कार्यवाही सीसीए नियम 16 एवं 17 के विरूद्ध वर्ष 1994, 1995 एवं 1997 में लम्बित थी ओर विभाग द्वारा वर्ष 1997–98 के विरूद्ध आरएएस कैडर की पदोन्नति की गयी। अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त भी अपीलार्थी के नाम पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया ओर विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 के विरूद्ध आरएएस के पद पर अपीलार्थी को पदोन्नति दी गयी और अपीलार्थी ने उक्त पद पर कार्य ग्रहण किया, जबकि वर्ष 1997–98 के विरूद्ध उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की गयी है, अपीलार्थी को उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 06.01.1998 (अनुलग्नक–6 व 7) एवं आदेश दिनांक 18.03.1998, 24.03.1998 तथा 13.05.1997 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को वर्ष 1997–98 आरएएस कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर पदोन्नति जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को दी गई है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी प्रदान की जावें तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी दिये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलार्थी ने न तो जिला कलेक्टर को पक्षकार बनाया है और न ही ठोस प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। अपीलार्थी ने जो दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलार्थी के विरूद्ध एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि थी। अपीलार्थी को कई आपराधिक मामलों में दोषमुक्त किया गया है तथा विभागीय कार्यवाही से भी मुक्त किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की गयी और जिसके वर्ष 1997–98 के विरूद्ध आरएएस कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर हुई डीपीसी दिनांक 27, 28, 29.11.1997 में अपीलार्थी के नाम पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी की अभ्यर्थता पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया था परन्तु वर्ष 1994–95 की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि होने के कारण पदोन्नति योग्य नहीं पाया गया। वर्ष 1998–99 के विरूद्ध कोई भी अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान नहीं की गयी। अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 1999–2000 से 2002–03 के लिये भी योग्य नहीं पाया गया और रिक्ति वर्ष 2002–03 के विरूद्ध डीपीसी की अभिशंषा के आधार पर अपीलार्थी के नाम का चयन किया गया और आदेश दिनांक 27.02.2006 के द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान की गयी। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने के कारण खारिज फरमायी जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नायब तहसीलदार के पद पर दिनांक 03.03.1980 को हुई थी और अंतरिम वरिष्ठता सूची दिनांक 01.09.1997 के तहत दिनांक 19.09.1998 को जारी की गयी। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 59 पर दर्शाया गया। वर्ष 1994–95 की एपीएआर में विपरीत प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की गयी और पत्र दिनांक 13.05.1997 के द्वारा जिला कलेक्टर के द्वारा वर्ष 1994 में विभागीय जांच की गयी। अपीलार्थी को सीसीए नियम 17 के तहत विभागीय जांच प्रारम्भ की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आरएएस के पद के लिये डीपीसी हेतु योग्य अभ्यर्थियों के नाम पर विचार किया गया और वर्ष 1997–98 में नियम 28 के तहत आदेश दिनांक 06.01.1998 के द्वारा डीपीसी की अभिशंषा के आधार पर आरएएस कनिष्ठ वेतन

श्रृंखला के पद पर पदोननति प्रदान की गई, जो वरिष्ठता कम मैरिट एवं मैरिट आधार पर की गयी। परन्तु पदोन्नति आदेश में अपीलार्थी का नाम नहीं दर्शाया गया। जहां तक अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 1997–98 के विरूद्ध आरएएस कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत है कि अपीलार्थी के विरूद्ध वर्ष 1994–95 की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि होने के कारण पदोन्नति योग्य नहीं पाया गया। अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह उल्लेख भी किया है कि वर्ष 1994, 1995 एवं 1997 सीसीए नियम 16 एवं 17 के अन्तर्गत अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच लम्बित थी। इससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी कार्य व्यवहार एवं एपीएआर संतोषजनक नहीं होने के कारण डीपीसी के आधार पर उसे वर्ष 1997–98 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु योग्य नहीं पाया गया, जिसके कारण से नियमानुसार पदोन्नति से वंचित किया गया। अपीलार्थी का सेवाभिलेख/एपीएआर वर्ष 1999–2000 एवं 2001–2002 तक भी संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उसे पदोन्नति प्रदान नहीं की गयी। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी का सेवाभिलेख एवं उसकी सेवाएं संतोषजनक नहीं होने तथा एपीएआर में सम्बन्धित पदोन्नति वर्ष में प्रतिकूल प्रविष्टि होने के कारण उसे पदोन्नति प्रदान नहीं की गयी, जो विभागीय कार्यवाही सही एवं नियमानुसार उचित प्रतीत होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमायी जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य